

संख्या- 6/बी3-108/2015 श्र०सं०- 05

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

आवंटनादेश

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना ।

पटना, दिनांक- 21.5.15

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएँ-091-संलग्न कार्यालय-माँग संख्या-26 उपशीर्ष-0001-सचिवालय भोजशाला स्थापना (विपत्र कोड-एन 2251000910001) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष- 2015-16 में 31 जुलाई, 2015 तक व्यय के निमित्त निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

वेतन	जीवनयापन	मकान किराया	परिवहन	चिकित्सा	अन्य भत्ता	योग वेतन
0101	भत्ता 0103	भत्ता 0104	भत्ता 0105	भत्ता 0106	0107	एवं भत्ते
46,48,000	54,84,500	9,29,600	1,47,500	71,200	20,000	1,13,00,800

मजदूरी	चिकित्सा	यात्रा	कार्यालय	दूरभाष	वर्दी	सामग्री एवं	मशीने एवं	कुल योग
0201	प्रतिपूर्ति	व्यय	व्यय 1301	1303	/पोशाक	पूतियाँ	उपस्कर	
	0601	1101			1306	2101	5201	
1,32,000	10,000	6,500	33,000	6,500	95,000	82,00,000	33,000	1,98,16,800

कुल आवंटित राशि ₹ 1,98,16,800/- (₹ एक करोड़ अठानवे लाख सोलह हजार आठ सौ) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-3429वि०(2) दिनांक-01.04.15 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- योग वेतन भत्ते में आवंटित राशि से वेतन विपत्रों की निकासी की जायेगी ।
- यह आवंटन गैर योजना मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है ।
- आवंटन विमुक्त किये जाने के प्रस्ताव में सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-6/बी3-108/2015 श्र०सं०-

05

पटना, दिनांक

21.5.15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-6/बी3-108/2015 श्र0सं0-

05

पटना, दिनांक 21.5.15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना /जिला पदाधिकारी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना /आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष / प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई.टी.मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग से अनुरोध है कि वित्त विभाग के पत्रांक-3448(वि०) दिनांक-01.04.15 में दिये गये निदेश का कार्यान्वयन कृपया सुनिश्चित कराया जाय ।

(अशोक कुमार सिंह)  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

21/5/15